म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.



(म.च.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, श्रोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551967, 2551756 CIN NO-UO1119mp1969GC001055

क./मुख्या./उद्यान/Plastic Items/2024-25/2958

दिनांक - 21 11 24

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

प्रसारण कं. - 01

विषय— वर्ष 2024—25 एवं आगे की अवधि हेतु <u>ISI Mark Vermi Compost Bed IS:15907:2010</u> की प्रदाय दरों के संबंध में।

निगम द्वारा वर्ष 2024—25 एवं आगे की अवधि हेतु **ISI Mark Vermi Compost Bed IS:15907:2010** के रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये गये थे। सामग्री के प्रदाय हेतु गठित समिति
द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार योग्य प्रदायकों से अनुबंध निष्पादित कर दरों का अनुमोदन किया
गया है। प्रदायकवार एवं सामग्रीवार अनुमोदित क्रय—विक्रय दरों का प्रसारण निम्नानुसार किया जाता हैं:—

S	NAME OF SUPPLIER	NAME OF MANUFACTURER	Approved Type	Final Selling Rate Rs. per UNIT FOR	
2	Shree Sidhivinayak Trading Company H.no 22, Bhel Sangam, Baghsewaniya, Bhopal Mob- 7999048481 Email- morchhale.nitin@gmail.com Pawan Enterprises 22, Shantikunj colony, opposite Hotel Radisson Blue, scheme no 94, Indore 1 Mob- 9424052259 Email-pawanenterprises22@gmail.com	VEER PLASTICS PVT LTD Address:- BLOCK NO.327, SANTEJ VADSAR ROAD TAL: KALOL,KALOL PIN:-382721 E-Mail:- info@veerplastics.org NKB Extrusions Private Ltd., 68-Chowringhee Road, Kolkata - 700020 E-Mail:- nalin.bagaria@trupack.in	ISI Mark Vermi Compost Bed IS:15907: 2010	Destination (including GST	

2. पत्र के साथ सामग्री की क्रय-विक्रय दरों का प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। निगम द्वारा जारी अनुमोदित दरें प्रथम दर प्रसारण से आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेंगी, परन्तु इन दरों की प्रभावशीलता को निगम द्वारा नीवन दर प्रसारण होने तक बढ़ाया जा सकेगा।

वर्ष 2024—25 एवं आगे की अवधि हेतु जारी रेट कांट्रेक्ट ऑफर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर रिकार्ड में रखा जाए तथा रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं कंडिकाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए।

3. प्रदायगी की शर्ते :--

केता विभाग से प्राप्त मांग एवं अनुशंसा (प्रदायक / निर्माता) अनुसार निगम के जिला प्रबंधक प्राप्त मांग / कय आदेश क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा सामग्री के प्रदाय आदेश जारी किए जाएगें।

प्रदायक को निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय—सीमा घटाई भी जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रदाय आदेश जारी किये जाने के उपरांत आदेश में दी गई निर्धारित अविध में आदेशित मात्रा एवं आरसीओ की शर्तों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की गुणवत्ता पूर्ण सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

3.1 निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में केता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी विधिवत् सूचना प्रदायक को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।

.....2

- 3.2 परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेन्ट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी।
- 3.3 आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग / स्थान तक पहुँचाने लोडिंग / अनलोडिंग सहित समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।
- 3.4 प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में आरसीओ की शर्त की कंडिका 21 के आधार पर निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :—

Sr	Week	Penalty in Percentage of the value of the non supplied items		
1	First to Second	within the prescribed time of the issued order		
2		0.25% per week		
4	Third to Fourth	0.50% per week		
3	Beyond Fourth week	The Supply order may get cancelled along with forfeiture of 21% value of the total value of the non supplied items from respective suppliers bills or EMD etc.		

- 3.5 आरसीओ की कंडिका क्रं 22 के अनुसार The approved offerer/supplier will uploaded the order copy/receipt of order date, date of supply, date of submission of bill, date of receipt of payment etc on the MPFSTS portal handle by the Department of Horticulture.
- 3.6 आरसीओ की कंडिका क्रं 18 के अनुसार वारंटी की शर्त निम्नानुसार रहेंगी:—
 The material supplied should carry minimum 01 year warranty from the date of supply. The supplier is responsible for damages if any, occuring due to manufacturing defect, inferrer quality, etc. In such case, the supplier will replace/repair such material on its own expenses within 10 days from the date of intemation letter. If supplier is fail to do so in the given time limit of 10 days the corporation/department shall not be responsible for the theft or further damage of the item or the department/beneficiary may be free to repair/replace the defective material from open market and corporation will recover the cost or expenditure whatsoever, from the future bills of the supplier or from the security deposit.
- 3.7 आरसीओ की कंडिका क्रं 12 के अनुसार PRE INSPECTION FOR QUALITY BEFORE DELIVERY की शर्त निम्नानुसार रहेगी —
- A-(i) Agency only from any of the State/Central/PSU Undertaking/any instituation which is incorporated following a Gazette Notification or by a special act passed by Government of India, India classification society approved by Quality Council of India (NABCB) or by any State government as the Quality Control Inspection (QCI), third party inspection by Government agency or agency registered under section-25 in company act 1956 like DGS&D/RITES/CIPET/EIL/IR Class/PDIL/Crown agent etc.
- (ii) All material supplied under this RCO may be inspected by third party by the Corporation for this purpose.

 (iii) Expenses related to third party inspection shall be be a second of the control of t
- (iii) Expenses related to third party inspection shall be borne by bidder.
 (iv) Inspection report of such inspection conducted shall be submitted by bidder
- along with bills at the time of payment.
- B The Managing Director may decide to inspect the production/quality control facilities of the offerer through any means, before or after the execution of agreement. If any time it is found that the information submitted by the offerer/supplier is not according to the document submitted the Managing Director reserves the right to reject the offer or terminate the agreement.

ZIOTO AT

आरसीओ की कंडिका क्रं 19 के अनुसार Testing of Quality की शर्त निम्नानुसार रहेंगी — 3.8 In case of any dispute of quality, the Corporation willl get the material tested in order to ascertain the quality by testing in CIPET, the testing charges incurred for the same shall be recovered from the bills or EMD of supplier with 4.

सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय नहीं किये जाने पर क्रयकर्ता / उपयोगकर्ता को हुई हानि की भरपाई किये

जाने का उत्तरदायित्व प्रदायक का रहेगा।

- गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होने या प्रदाय में अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति के चलते 5. केंता / उपयोकर्ता द्वारा निगम के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायालयीन / उपभोक्ता फोरम आदि में कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही के कम में निगम द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित केता को किसी प्रकार की डिक्री अरोपित की जाती है, तो उसकी भरपाई प्रदायक को की जाना होगी / निगम प्रदायक को देय भुगतान में से राशि का समायोजन
- बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय नहीं किया जावे। प्रदायक द्वारा 6. किसी सामग्री का प्रदाय बिना निगम आदेश के केता विभाग को किया जाता है तो प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी। ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में बिना आदेश के प्रदाय की गई सामग्री को मान्य करने का निर्णय प्रबंध संचालक ले सकेगें।

7. कन्साइनमेंट को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार :-

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड / समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :--

- (अ) उचित / निर्धारित गुणवत्ता न होने की दशा में।
- निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।

यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

भुगतान :-8.

जिला प्रबंधक द्वारा "मुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :--

- प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार केता विभाग से (अ) पावती / भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों एवं प्रदायकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षयुक्त पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 07 दिवस में किया जावेगा।
- देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग से निगम के निर्धारित (ब) प्रोफार्मा के अनुसार (प्राप्तकर्ता विभाग तथा निगम के अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षयुक्त) संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः 120 दिवस में किया जावेगा।
- यदि संबंधित विभाग द्वारा 120 दिवस की समय—सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं (स) किया जाता है तथा प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है और निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।

- 9. प्रदायकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं / व्यक्ति / शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किए जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है, तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किए गए अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।
- 10. यह दरें निगम के माध्यम से व्यवसाय किये जाने के लिए प्रसारित की जा रही हैं। इन प्रसारित दरों के अन्य किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित दर न माना जाए। यदि किसी भी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर सीधे प्रदायकों से क्य किया जाता है तो उसके लिए निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रदायगी की शेष शर्तें रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं अनुबंध के अनुसार रहेंगी । इस प्रसारण के उपरांत <u>ISI Mark Vermi Compost Bed IS:15907:2010</u> की पूर्व में प्रसारित विकय दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

प्रबंधक (उद्यान)

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2. संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त, कृषक कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल ।

महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

 संयुक्त / उप / सहायक संचालक (समस्त), उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण की ओर सूचनार्थ।

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ ।

7. संबंधित प्रदायक मैसर्स...... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंधके (उद्यान)

ISI MARK VERMI COMPOST BED (IS: 15907:2010)

Supply Rates for the year 2024-25 & onwards

PURCHASE PRICE (in Rs)

Particulars	ISI MARK VERMI COMPOST BED 3600 mm(L)×1200mm(W)×600mm (H)			
	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.		
Basic Price (in Rs) per KG	2216.10	2216.10		
IGST@18% on Basic Price		398.90		
CGST @ 9% Basic Price	199,45	398.90		
SGST @ 9% Basic Price	199.45	<u> </u>		
Corporation Purchase Price	2615.00	2615.00		

SELLING PRICE (in Rs)

Particulars	ISI MARK VERMI COMPOST BED 3600 mm(L)×1200mm(W)×600mm (H)		
Basic Price (in Rs) per KG	2216.10		
Margin 5% on Basic Price	110.80		
Sub total	2326.90		
CGST @ 9% (on sub total)	209.42		
SGST @ 9% (on sub total)	209.42		
Corporation Selling Price	2745.74		

प्रबंधक (उद्यान)

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

७५ संघालक / सहायक संचालक उद्यान का आदेश क्रमांक									
दिनांक									
योजना का नाम									
घटव	घटक का नाम								
वर्ष .			3						
	निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के आदेश कमांकदिनांकदिनांक के कम में प्रदायक मेसर्सदियक कं								
*******	••••••••	दिनांक	से निम्नानु	ुसार सामग्री	हारा च का प्रदाय	लान / दयक क किया गया है।			
क ं.	सामग्री का नाम	Specification/ Model		एग्री का देयक कं./ दिनांक	प्राप्त मात्रा	सामग्री की गुणवत्ता			
2									
उक्तानुसार प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन आज दिनांक									
उप /	सहायक संचार (सील मुद्रा सा		जिला प्रबंधक सील मुद्रा सहित्		प्रदायक के (सील मुद्र				

		कार्यालय उप	/सहायक सं	चालक उद्यान			
कार्यालय का नाम							
जिला							
क्रमांक	***************************************			दि	नांक	•••	
		<u>सं</u>	तुष्टी रिपोर्ट				
उप / सहायक	र्गंचालक	का आ	देश कमांक .	***************************************	•		
योजना का न	ाम						
घटक का ना	۲ <u>.</u>						
वर्ष	••••••	••••••					
जिला सामग्री का प्रव	प्रबंधक, एम दाय किया गर	पी स्टेट एग्रो ग है :–	इन्डस्ट्रीज	द्वारा चालान/दे	यक से 1	निम्नानुसार	
एग्रो का चालान कं./ दिनांक	एग्री का देयक कं./ दिनांक	प्रदाय संस्था का नाम	सामग्री का नाम	Specification/ Model	कुल मात्रा	रिमार्क	
उपरोक्त पत्र/आरसीओ संबंध में फील्ड	की शती एवं	निधरित स्पेशि	फिकेशन अन	न मुख्यालय द्वार नुसार है तथा साम त नहीं हुई हैं।	रा जारी ग्री की गुप	अनुमोदन गवत्ता के	
				उप / सहाय	क संचाल	क उद्यान	

जिला

(सील मुद्रा सहित)